<u>डिस्कलेमर</u>

आदेश संख्या 06/2024-25 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/एमएडीसी/शिरडी//सीपी-I/2022-27

आदेश संख्या 06/2024-25

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्त आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

शिरडी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, शिरडी (एसएजी) के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2027) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 27 अगस्त, 2024

ऐरा कार्यालय,
तृतीय तल, उड़ान भवन
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

15 **प्राधिकरण के निर्णयों का सार**

अध्याय 2 : शिरडी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का टैरिफ निर्धारण

2.11.1 शिरडी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के संबंध में वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2026-27 तक प्रभावी प्रथम नियंत्रण अवधि को मानना।

अध्याय 3: 01 नवम्बर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करना

3.13.1 प्रथम नियंत्रण अवधि में आगे ले जाई जाने वाली 1 नवंबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि की कमी को मानना

3.13.2 तालिका 8 के अनुसार यातायात को मानना।

3.13.3 तालिका 17 के अनुसार आरएबी और मूल्यह्रास को मानना।

3.13.4 तालिका 23 के अनुसार एफआरओआर को मानना।

3.13.5 तालिका 21 के अनुसार भूमि पर प्रतिलाभ को मानना ।

3.13.6 तालिका 34 के अनुसार वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

3.13.7 तालिका 38 के अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

3.13.8 तालिका 49 के अनुसार वैमानिक कर को मानना।

3.13.9 तालिका 42 के अनुसार वैमानिक राजस्व को मानना।

3.13.10 तालिका 51 के अनुसार 19.30 करोड़ रूपए की कम वसूली को मानना और इसे प्रथम नियंत्रण अवधि के एआरआर में समायोजित करना।

अध्याय 4: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

4.6.1 शिरडी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 69 के अनुसार यात्री यातायात, एटीएम, बेली कार्गो और एयर कार्गो की मात्रा को मानना।

4.6.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक यातायात के आधार पर प्रथम नियंत्रण अवधि संबंधी यातायात को टूअप करना।

अध्याय 5: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी)

5.9.1 शिरडी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 107 के अनुसार वैमानिक पूंजीगत व्यय को मानना।

5.9.2 शिरडी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 108 और तालिका 109 के अनुसार मूल्यह्रास और औसत आरएबी को मानना।

5.9.3 अगली नियंत्रण अवधि में वैमानिक टैरिफ निर्धारित करते समय पूंजीगत व्यय, आरएबी और मूल्यह्रास को कार्यक्षमता और औचित्य के मूल्यांकन के आधार पर टू-अप करना।

5.9.4 कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से अपूंजीकृत परियोजना लागत की 1% राशि कम (समायोजित) करना। अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय प्रथम नियंत्रण अवधि के टू-अप के दौरान इसकी जांच की जाएगी।

अध्याय 6 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए भूमि पर प्रतिलाभ

6.5.1 शिरडी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 114 के अनुसार भूमि पर प्रतिलाभ को मानना।

अध्याय 7 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर (एफआरओआर)

7.6.1 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए 14.00 % पर ईक्विटी की लागत को मानना।

7.6.2 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए 7.40 % की कल्पित ऋृण की लागत को मानना

7.6.3 अन्य हवाईअड्डों के मामले में माने जा रहे लक्षित प्राप्ति अनुपात के अनुरूप 48:52 के ईक्विटी (प्राप्ति) अनुपात के कल्पित ऋृण को मानना।

7.6.4 शिरडी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 116 के अनुसार ईक्विटी की लागत, ऋृण की लागत और प्राप्ति अनुपात के आधार पर 10.83% की प्रतिलाभ की उचित दर (एफआरओआर) को मानना।

अध्याय 8 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

8.6.1 शिरडी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 119 के अनुसार मुद्रा-स्फीति दरों को मानना।

अध्याय 9 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च

9.6.1 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 152 के अनुसार वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

9.6.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य और दक्षता के मूल्यांकन की शर्त पर प्रथम नियंत्रण अवधि के दौरान एमएडीसी द्वारा वहन किए गए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च के टू-अप को मानना।

अध्याय 10: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व (एनएआर)

10.6.1 शिरडी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के संबंध में प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 167 के अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

10.6.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण के समय औचित्य एवं दक्षता के मूल्यांकन की शर्त पर गैर वैमानिक राजस्व को टू-अप करना।

अध्याय 11 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

11.5.1 प्रथम तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक कराधान शून्य मानना।

11.5.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय सभी संगत तथ्यों को उपयुक्त ढंग से ध्यान में रखकर वैमानिक कर राशि को टू-अप करना।

अध्याय 12: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

12.5.1 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण में शिरडी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी समायोजन को नहीं मानना।

12.5.2 हवाईअड्डा प्रचालक को एसीआई एएसक्यू सर्वेक्षण करने एवं तिमाही रिपोर्ट सीधे प्राधिकरण को प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाता है।

अध्याय 13 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)

13.6.1 शिरडी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 171 के अनुसार एआरआर एवं वाईपीपी को मानना।

अध्याय 14: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व

14.5.1 टैरिफ कार्ड के आधार पर संलग्नक **I -** ए में बताए अनुसार वैमानिक राजस्व को मानना।

14.5.2 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए संलग्नक **I** बी में दिए गए विवरण के अनुसार परिवर्ती टैरिफ योजना (वीटीपी) को मानना तथा हवाईअड्डा प्रचालक को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित वीटीपी इकाओ के भेदभाव न करने संबंधी दिशा-निर्देश के अनुरूप है।

14.5.3 प्राधिकरण एमएडीसी को यह भी निदेश देता है कि वह सभी हितधारकों और प्राधिकरण की जानकारी के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के दौरान दिए गए प्रोत्साहनों, अर्जित राजस्व और इस संबंध में किए गए व्यय के लेखों का एक अलग रिकॉर्ड रखे, ताकि अगली नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक टैरिफ के निर्धारण के लिए एक सुविचारित दृष्टिकोण अपनाया जा सके।

14.5.4 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के समय प्रथम नियंत्रण अवधि के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर वैमानिक राजस्व को ट्रू-अप करना।

16 *आदेश*

16.1.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर प्राधिकरण एतदद्वारा **संलग्नक-I ए और I बी** में बताए अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए शिरडी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर लगाई जाने वाली वैमानिक टैरिफ निर्धारित करता है।

16.1.2 वायुयान अधिनियम, 1934 के तहत बनाए गए वायुयान नियम, 1937 के नियम, 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (बी) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतदद्वारा वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए आदेश के संलग्नक 1ए और Iबी के दर कार्ड में इंगित किए अनुसार यूडीएफ की दर निर्धारित करता है।

16.1.3 इसमें निर्धारित टैरिफ उच्चतम दरें हैं और इनमें कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

16.1.4 यह आदेश 1 सितम्बर, 2024 से प्रभावी किया जाएगा।

16.1.5 हवाईअड्डा प्रचालक प्राधिकरण के दिशा-निर्देश, 2011 के अनुसार प्राधिकरण को द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए अपना एमवाईटीपी ठीक समय पर प्रस्तुत करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव, ऐरा

सेवामें,

श्री संजय कगंने,
मुख्य वित्त अधिकारी,
महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलमेंट कंपनी लिमिटेड,
मुम्बई, महाराष्ट्र

प्रतिलिपि,

1. **सचिव,** नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – 110 003
2. **नागर विमानन महानिदेशालय** :एआईसी जारी करने के लिए